राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,

मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर–303001 दूरभाष 0141–2374644

क्रमांकः एफ4 / मु. / याता. / लेखा. / 2023 / 2248 दिनांकः 12/04/2023

"बस सारथी योजना 2023"

परिवहन निगम में परिचालकों की कमी की पूर्ति एवं आय में वृद्धि करने की दृष्टि से उपलब्ध संसाधन यथा वाहन बेडे में उपलब्ध बसों का अधिकतम उपयोग कर संचालन आय में वृद्धि करने का प्रयास करने के लिए बस सारथी योजना–2023 निम्नानुसार प्रभावी की जाती हैः–

इस योजना का नाम– राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम "बस सारथी योजना–2023" होगा।

योजना दिनांक 01 मई, 2023 से प्रभावी होगी।

1. परिभाषाएँ :–

A. इस योजना में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः–

I. "अनुबन्ध" से आशय दोनो पक्षों के बीच होने वाला अनुबन्ध से है।

II. "निगम" से आशय राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एंव जिसकी तरफ से संबंधित आगार का मुख्य प्रबन्धक इस योजना के लिए करार करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि होगा।

III. "बस सारथी" से तात्पर्य बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकिट जारी करने तथा चालको को मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सहायता करने वाला, निगम द्वारा अधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास परिचालक का वैध लाइसेंस एवं बैज हो।

IV. "शिड्यूल" से आशय इस योजना के तहत मुख्यालय द्वारा अनुमोदित शिड्यूल जो बस संचालन के लिए आंवटित है, अभिप्रेत है।

V. "सहमति" से आशय बस सारथी द्वारा प्रस्तुत स्वैच्छा से दी गई सहमति अभिप्रेत है।

VI. इस योजना में प्रयुक्त किये गये, किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो योजना में यथा स्थान अंकित है।

2. बस सारथी योजना में अनुबन्ध के लिए आवेदक की पात्रताः–

a. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

b. वैध परिचालक लाईसेन्स व बैज प्रस्तुत करना होगा।

c. दो राजपत्रित अधिकारी के स्तर से सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

d. किसी भी न्यायालय अथवा पुलिस थाने में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नही होने से संबंधित शपथ पत्र पुलिस वेरीफिकेशन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

e. निगम से सेवानिवृत परिचालक / चालक भी इस योजना के लिए पात्र होगे।

3. आयु सीमाः–

a. आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष तक की होगी।

(नथमल डिडेल)
प्रबन्ध निदेशक
रा.रा.प.प.नि., जयपुर

Scanned with CamScanner

4. बस सारथी की संख्याः–
   a. आगार में परिचालकों के रिक्त पदों के विरुद्ध बस सारथी रखे जा सकेगें। लेकिन बस सारथियों की संख्या संचालित शिड्यूल के अनुसार परिचालकों के स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी।
5. बस सारथी का कार्यः–
   a. बस सारथी निर्धारित शिड्यूल की बस में मार्ग में बैठने वाले यात्रियों को, निगम द्वारा निर्धारित यात्री किराया राशि के अनुसार राशि प्राप्त कर यात्री/लगेज टिकिट जारी करेगें, समस्त बुकिंग घरों से डी.एस.ए. प्राप्त करेगें तथा ईटीआईएम में इन्द्राज कर यात्री मार्ग विपत्र का संधारण करेगें। मार्ग से आने के बाद आगार कार्यालय में संकलित राजस्व E.T.I.M, टिकिट, बैग आदि निगम कोष में जमा करायेंगें। निगम के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना करना, बस सारथी के लिये आवश्यक होगा। इस हेतु बस सारथी को मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपेक्षित परिचालक लाईसेन्स, बैज एवं निर्धारित वर्दी की व्यवस्था स्वंय के खर्चे पर करनी होगी। वर्दी पर नाम पटिट्का लगाना अनिवार्य होगा।
   b. बस सारथी द्वारा मार्ग के निर्धारित बस स्टेंड से यात्रीभार चढाया एवं उतारा जायेगा तथा ज्यादा से ज्यादा यात्रीभार अर्जित किये जाने का प्रयास करेगा।
   c. परिचालकों हेतु मार्ग पर निर्धारित उत्तरदायित्वों की पालना नहीं करने पर पूर्व में निर्धारित संबन्धित नियम भी बस सारथी पर लागू होंगे।
6. बस सारथी के अनुबन्ध की प्रक्रियाः–
   a. मुख्य प्रबन्धक आगारीय समिति की अभिशंषा पर बस सारथी से किसी विशेष मार्ग/शिड्यूल हेतु अनुबन्ध/करार कर सकेंगें। आगार स्तरीय कमेटी का गठन निम्नानुसार होगाः–

i.	मुख्य प्रबन्धक	अध्यक्ष
ii.	प्रबन्धक (यातायात)	सदस्य
iii.	प्रबन्धक (संचालन)	सदस्य
iv.	प्रबन्धक (वित्त)	सदस्य
v.	प्रबन्धक (प्रशासन)	सदस्य सचिव

   b. बस सारथी को बस सेवा हेतु अधिकृत करने से पूर्व संलग्न प्रारूप अनुसार 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर, लिखित अण्डरटेंकिंग देनी होगी एवं वह अण्डरटेकिंग की शर्तो की पालना के लिए उत्तरदायी होगा।
   c. आगार स्तरीय समिति द्वारा बस सारथी से जिन शिड्यूल्स के लिए, अनुबन्ध किया जाना हो, उनके लिए निगम वेबसाईट, आगार के नोटिस बोर्ड एवं अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार करते हुये सूचना प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जावेगा। साथ ही शिड्यूल्स के पूर्ण विवरण सहित न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित करते हुये आगार एवं जिले में

(नथमल डिडेल)
प्रबन्ध निदेशक
रा.रा.प.प.नि., जयपुर

Scanned with CamScanner

स्थित मुख्य कार्यालयों के नोटिस बोर्ड एवं निगम के अन्य आगारों के नोटिस बोर्ड के माध्यम से भी सूचना प्रकाशित की जावेगी।

d. योजना के अन्तर्गत वातानुकूलित सेवाओं को छोड़कर आगारों में संचालित सभी शिड्यूल सेवाएं बस सारथी को आंवन्टित की जा सकेगी।

e. **आगार स्तरीय समिति द्वारा MIS पोर्टल का अवलोकन कर यह सुनिश्चित करले कि अनुबंध किये जाने वाला बस सारथी ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है।**

f. लक्ष्य निर्धारणः–

I. निर्धारण हेतु आगारीय समिति सम्बन्धित माह के गत तीन वित्तीय वर्षों का औसत, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2020–2021 (कोरोना काल) विलग करते हुये वर्षवार अर्जित यात्रीभार के औसत में **8 की अतिरिक्त निश्चित वृद्धि कर यात्री भार व राजस्व का दैनिक लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा। लक्ष्य निर्धारण करते समय पुलिस विभाग से प्राप्त राजस्व एवं मासिक पासों की आय के सहित सभी रियायती यात्राओं की आय को सम्मलित करते हुये लक्ष्यों का निर्धारण किया जायेगा।**

II. उक्त योजना में गत तीन वर्षो में यदि कोई शिड्यूल संचालित नहीं है, अथवा एक या दो वर्ष से ही शिडयूल संचालित है, तो ऐसी स्थिति में वर्तमान संचालन एवं गत एक या **दो वर्षों में से सर्वाधिक यात्रीभार में उपरोक्तानुसार वृद्धि कर शिड्यूल का लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा, एवं इसी प्रकार बस सारथी की आय में समस्त रियायती यात्राओं की आय को सम्मिलित किया जायेगा ।**

III. नवीन मार्ग/नवीन अनुसूचित सेवा पर मिड्डी बस/अन्य बस संचालन करने पर मार्ग/शिड्यूल का सर्वे करवाया जावे। सर्वे के अनुसार एवं यात्रीभार उपलब्धता को देखते हुए लक्ष्य निर्धारित किया जावे, लेकिन आय का लक्ष्य न्यूनतम 30/– रुपये प्रति किमी (यात्री किराया वृद्धि के अनुसार आय प्रति किमी में वृद्धि होगी) होगा।

IV. आगारीय समिति संबंधित माह के दौरान आगार क्षेत्र मे आयोजित मेले, त्यौहार, होली, दीपावली अथवा सम्भावित यात्री भार उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये आय प्रति किमी. एवं यात्रीभार लक्ष्यों में वृद्धि कर सकेगी। साथ ही जैसे श्राद्ध पक्ष, धरना प्रदर्शन आदि के समय लक्ष्य निर्धारण में कमी की जा सकेगी।

V. बस सारथी से किया जाना वाला अनुबंध किसी भी शिडयूल पर 30/– रूपये आय प्रति कि0मी0 से कम नही होगा।

g. पात्र सफल आवेदक (बस सारथी) को, निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये बस शिड्यूल के लिए अधिकृत किया जावेगा :–

I. यदि किसी शिड्यूल/बस सेवा के लिये, एक से अधिक आवेदक मांग करते हैं तो जो आवेदक अधिकतम दैनिक राजस्व लक्ष्य का ऑफर देगा, उसे ही बस सेवा/शिड्यूल के लिए बस सारथी के रूप में अधिकृत किया जावेगा।

II. एक मार्ग पर संचालित होने वाले समस्त शिड्यूल बस सारथियों से नहीं चलवाये जायेगें ताकि निगम की अन्य बसों से प्रतिस्पर्धा कर सके, किन्तु ऐसा करना बाध्यकारी नहीं होगा।

III. यात्री किराया दरों मे वृद्धि होने पर निर्धारित लक्ष्यों में आनुपातिक वृद्धि की जायेगी, जो बस सारथी को स्वीकार्य होगी।

(नथमल डिडेल)
प्रबन्ध निदेशक
रा.रा.प.प.नि., जयपुर

Scanned with CamScanner

IV. **बस सारथी को अधिकृत शिड्यूल्स की वाहनों में मासिक पासों एवं अन्य निःशुल्क रियायती सेवाओं जैसें महिला दिवस व रक्षा बन्धन, प्रतियोगी परीक्षार्थियों एवं अन्य निःशुल्क व रियायती यात्रा की आय को प्राप्त लक्ष्य/राजस्व में जोडी जायेगी।**

V. बस सारथी से एक माह का अनुबन्ध किया जा सकेगा।

VI. अनुबन्ध अवधि में बस सारथी मार्ग परिवर्तन हेतु कलेण्डर माह के अन्तिम सप्ताह में आवेदन कर सकेगा, जिस पर आगारीय समिति की अनुशंषा पर मुख्य प्रबन्धक द्वारा आगामी माह के प्रथम दिवस से नवीन मार्ग आवंटित किया जा सकेगा।

7. धरोहर राशिः—

a. शिड्यूल के लक्ष्य के लिये निर्धारित अवधि पूर्ण होने से पूर्व स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने अथवा सहंमति के अनुसार कार्य नही करने की स्थिति में जमा प्रतिभू राशि एवं E.T.I.M. मशीन के विरुद्ध जमा धरोहर राशि में से उसके विरुद्ध बकाया राशि एवं कुल धरोहर राशि (E.T.I.M.राशि को छोडकर) का 20 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के रूप में कटौती कर शेष राशि लौटा दी जावेगी।

b. अधिकृत बस सारथी को बस सेवा के लिए 15,000/—रू0 अथवा पूरे शिडयूल से प्राप्त आय (दैनिक) जो अधिक हो, न्यूनतम धरौहर राशि जमा करवानी होगी तथा E.T.I.M. मशीन के मूल्य की राशि 20,000/—रू बस सारथी से अथवा दैनिक अर्जित राजस्व के अतिरिक्त प्रतिदिन 200/—रू0 E.T.I.M. मशीन के मूल्य की राशि 20,000/—रू0 निगम द्वारा निर्धारित E.T.I.M. राशि के बराबर होने तक निगम कोष में जमा करवाना अनिवार्य होगा, परन्तु यदि किसी शिडयूल पर पूरे शिडयूल से प्राप्त आय रू0 जमा धरौहर राशि से अधिक हो तो उस बस सेवा के लिए धरौहर राशि भी उसी अनुपात में वृद्धि कर जमा की जावेगी।

c. **शिड्यूल के लक्ष्य के लिए निर्धारित अवधि पूर्ण होने से पूर्व यदि बस सारथी स्वेच्छा से अपना कार्य नहीं करना चाहता है अथवा अनुबन्ध समाप्त करना चाहता है, तो वह 15 दिवस पूर्व लिखित में संबंधित आगार कार्यालय में सूचना देगा। इस प्रकार समय सीमा में सूचना दिये जाने पर सूचना अवधि पूर्ण होने के उपरान्त बस सारथी की निगम में जमा संपूर्ण धरोहर राशि/सुरक्षा राशि के विरूद्ध बकाया शास्ति व अन्य का समायोजन करते हुऐ शेष राशि लौटा दी जायेगी।**

8. वसूलीः—

a. बस सारथी को आवंटित लक्ष्य की तुलना में कम अर्जित की गयी राशि शत—प्रतिशत बस सारथी से वसूली योग्य होगी।

(नथमल डिडेल)
प्रबन्ध निदेशक
रा.रा.प.प.नि., जयपुर

Scanned with CamScanner

b. यदि किसी बस सारथी द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम आय अर्जित की जाती है तो शिडयूल पर आवंटित लक्ष्य की तुलना में कमी (शोर्टेज) की राशि इस आदेश के बिन्दु संख्या 07 के उप बिन्दु ए में अंकित जमा प्रतिभू राशि की 20 प्रतिशत से अधिक किसी भी स्थिति में नही होनी चाहिए। (उदाहरणार्थः—रूपये 15,000/—प्रतिभू राशि का 20 प्रतिशत 3000/—रू सहित अधिक शोर्टेज राशि नही हो सकेगी) जिस दिनांक को लक्ष्य से कमी की राशि 20 प्रतिशत से अधिक हो उसी दिवस शोर्टे की पूर्ण राशि निगम कोष में जमा करवानी होगी, तत्पश्चात ही अगले दिवस बस सारथी को मार्ग पर भेजा जावेगा तथा कमी की स्थिति में उसकी जमा प्रतिभू राशि में समायोजित की जावेगी एवं मासिक रूप से प्रतिभू राशि की कमी की प्रतिपूर्ती नकद राशि निगम कोष में जमा करवाने पर ही बस सारथी को मार्ग पर भेजा जा सकेगा। मुख्य प्रबन्धक एवं प्रबन्धक (वित्त) प्रतिदिन बस सारथी द्वारा निगम कोष में जमा राजस्व की समीक्षा करेगे। इस बिन्दु की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगे तथा कमी (शोर्टेज) की वसूली नही होने पर मुख्य प्रबन्धक एवं प्रबन्धक (वित्त) स्वयं उतरदायी होगे।

9. समय पूर्व अनुबन्ध समाप्त किया जानाः—

a. वाहन चैकिंग के दौरान बस सारथी के स्थान पर अन्य अनाधिकृत व्यक्ति पाये जाने पर।

b. बस सारथी के ड्यूटी ज्वाईनिंग दिनांक के पश्चात् से निम्नांकित तीनों मे से कोई भी प्रकरण होने परः—

1. **एक बार में 10 या 10 से अधिक बिना टिकिट यात्री का प्रकरण होने पर**
2. **5 से 9 बिना टिकिट यात्री के दो प्रकरण होने पर ।**
3. **5 सवारी से कम बिना टिकिट के 3 प्रकरण होने पर ।**

c. अनुबन्ध हेतु आवेदक द्वारा गलत सूचना एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर अनुबन्ध किये जाने पर।

d. बस सारथी द्वारा यात्रियों/निरीक्षणकर्ताओं/निगम कर्मियों से अभद्र व्यवहार एवं निरीक्षणकर्ताओ को E.T.I.M. मशीन नही देने पर।

e. निगम ड्यूटी के समय शराब/मादक पदार्थों के सेवन/नशे मे पाये जाने पर।

f. अनैतिक/गैर अनुमत गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर।

g. बस सारथी के किसी भी प्रकरण में 48 घण्टे से अधिक अवधि के लिए कारावास में रहने की स्थिति में।

h. बिन्दु संख्या ए से जी तक में किसी भी प्रकरण में संलिप्त पाये जाने पर मुख्य प्रबन्धक द्वारा बस सारथी का अनुबंध तत्काल समाप्त करते हुये, निगम में जमा बस सारथी की संपूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त कर ब्लैक लिस्टेड किया जावेगा, साथ ही सभी आगारों को **इसकी सूचना प्रेषित करते हुये MIS पोर्टल पर अपलोड किया जावेगा।**

i. इस योजना में ब्लैक लिस्टेड बस सारथी भविष्य में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से किसी भी प्रकार का अनुबन्ध/व्यवहार करने हेतु अपात्र होगा।

10. वाहन निरीक्षणः—

a. बस सारथी की बस का निरीक्षण करने हेतु सभी आगार के मुख्य प्रबन्धक, प्रबन्धक (यातायात)/निरीक्षक/उपनिरीक्षक, तथा मुख्यालय द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी भी अधिकृत होंगे।

(नथमल डिडेल)
प्रबन्ध निदेशक
रा.रा.प.प.नि., जयपुर

Scanned with CamScanner

11. बस सारथी हेतु मासिक प्रतिफल :–

a. **बस सारथी को देय मासिक प्रतिफल राशि का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जावेगा :–**

क्र.	वाहन संचालन (किमी) प्रति मासिक	प्रतिफल राशि मासिक रूपये में
1	10000 किमी तक	13,000/–रूपये
	10000 किमी से अधिक पर	माह में 10,000 किमी से अधिक कि0मी0 संचालन पर प्रति किमी 1.50 रूपये के अनुसार अतिरिक्त भुगतान, परन्तु यह राशि निर्धारित मासिक लक्ष्य अर्जित करने पर ही देय होगी।

b. बस सारथी द्वारा निर्धारित मासिक लक्ष्य से अधिक आय लाने पर लक्ष्य से अधिक आय का 25 प्रतिशत अतिरिक्त मासिक भुगतान किया जावेगा, जिसका भुगतान मासिक प्रतिफल के साथ किया जावेगा।

c. बस सारथी को देय राशि में से, नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती की जावेगी एवं सभी प्रभावी करदेयता का दायित्व बस सारथी द्वारा वहन किया जायेगा।

12. बस सारथी को देय अवकाश:–

a. बस सारथी एक माह में 4 दिन का साप्ताहिक विश्राम प्राप्त करने के लिये अधिकृत होगा। माह में चार विश्राम दिवसों के अतिरिक्त बिना सूचना/स्वीकृति के लगातार अधिकतम 5 दिवस तक अनुपस्थित होने पर उसे अनुपस्थित दिनों का प्रतिफल राशि का भुगतान देय नहीं होगा। बस सारथी के अनुपस्थित रहने पर शास्ती राशि 500/–रूपये+जीएसटी अतिरिक्त (5दिवस तक) नियमानुसार वसूली होगी। प्रत्येक अनुपस्थिति दिवस के लिये पृथक–पृथक होगी एवं शिड्यूल निरस्त होने पर बस सारथी से प्रथम दिवस शिड्यूल की औसत आय की वसूली होगी।

b. **उपरोक्त साप्ताहिक विश्राम के अतिरिक्त एक माह में पूर्व लिखित सूचना के आधार पर मुख्य प्रबन्धक द्वारा विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 10 दिवस के अवकाश स्वीकृत किये जा सकेंगें लेकिन उक्त अवकाश दिवसों में देय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जायेगा।**

13. अन्य महत्त्वपूर्ण निर्देश:–

a. बस सारथी को निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई बस पर अपना कार्य सम्पन्न करना होगा। उसके द्वारा किसी मॉडल/वाहन विशेष की बस की मांग निगम के स्तर पर स्वीकार योग्य नही होगी।

b. मार्ग पर वाहन ब्रेक डाउन होने पर प्रस्थान स्थल से ब्रेक डाउन स्थल तक के यात्री किराये से प्राप्त राजस्व को ही अर्जित आय माना जायेगा तथा ब्रेक डाउन स्थल से आगे के यात्री किराये की राशि लक्ष्य एवं अर्जित आय में शामिल नहीं होगी।

c. बस सारथी द्वारा शिड्यूल पर सेवा पूर्ण कर वापस आने पर उस बस सेवा की आय, E.T.I.M. मशीन, टिकिट, बैग आदि निगम कोष में जमा करा देने की सुनिश्चितता करने के उपरान्त ही उसे अगले दिवस बस सेवा में भेजा जावेगा।

(नथमल डिडेल)
प्रबन्ध निदेशक
रा.रा.प.प.नि., जयपुर

Scanned with CamScanner

d. E.T.I.M., मशीन सही स्थिति में आगार कार्यालय में जमा कराने एवं बस सारथी के विरूद्व कोई बकाया राशि नही होने की स्थिति में ही E.T.I.M. मशीन की धरोहर राशि लौटाई जावेगी।

e. बस सारथी की आय पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आगार स्तर पर बस सेवा के अनुसार, पंजिका का संघारण कर प्रतिदिन मोनीटरिंग की जावेगी व दैनिक रूप से MIS पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। मोनीटरिंग की मासिक सूचना, उप महा प्रबन्धक (सांख्यिकी), मुख्यालय जयपुर को भेजी जावेगी। उप महा प्रबन्धक (सांख्यिकी), मुख्यालय जयपुर के स्तर पर आवश्यक कार्यवाही व मोनेटरिंग उपरान्त मासिक रिपोर्ट कार्यकारी निदेशक (यातायात) को प्रस्तुत की जावेगी। साथ ही इस योजना की मुख्य प्रबन्धक द्वारा लक्ष्य प्राप्ति की साप्ताहिक समीक्षा_की जायेगी।

f. बस सारथी द्वारा शिड्यूल सेवा समाप्ति के पश्चात यदि E.T.I.M., टिकिट ,बैग एवं टिकिट विक्रय राशि को निगम कोष में समय पर जमा नहीं कराया जाता है तो नियमानुसार संबंधित पुलिस थाने में उसके विरूद्व प्राथमिकी दर्ज करायी जावेगी तथा निगम नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

g. प्रत्येक बस सारथी को टिकिट जारी करने हेतु E.T.I.M. जारी की जावेगी। किसी कारणवश E.T.I.M. के कार्य नही करने की स्थिति में राजस्व संकलन के उद्धेश्य से नियमानुसार मार्ग विपत्र व टिकिट बुके भी जारी की जावेगीं । बस सारथी द्वारा E.T.I.M.के स्थान पर मार्ग विपत्र/टिकट बुक से टिकट जारी करने की स्थिति में उक्त कारणों का सत्यापन प्रबन्धक (यातायात), प्रबन्धक (वित्त), सहायक लेखाधिकारी राजस्व एवं लिपिक E.T.I.M. के द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। उक्त प्रकार से सत्यापन किये जाने के पश्चात् ही बस सारथी को पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।

h. समय–समय पर प्रबन्धक (वित्त) द्वारा भी इस योजना का परीक्षण एवं प्रभावी संचालन की मोनेटरिंग की जायेगी।

i. योजना के अन्तर्गत बस सारथी की बसों का समय–समय पर निरीक्षण किया जावेगा ताकि यात्रीभार उपलब्धता की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके तथा उसी अनुरूप आगामी माह में यात्री भार मे वृद्धि की जा सकें।

j. उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत अनुबन्धित व्यक्ति को किसी भी रूप में निगम के कर्मचारी की श्रेणी में नही माना जावेगा और वह व्यक्ति अपने आप को कर्मचारी के रूप में बताकर किसी प्रकार का अन्य लाभ प्राप्त करने एवं निगम वाहनों में बिना टिकिट यात्रा करने के लिये भी अधिकृत नहीं होगा। इसके लिये अधिकृत बस सारथी द्वारा निगम के लिये अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा।

k. बस सारथियों द्वारा डबल क्रयू एवं ट्रिपल क्रयू के शिड्यूल पर अनुबन्ध किये जाने की स्थिति में उसे नियमानुसार डी.डी.आर देय होगा।

(नथमल डिडेल)
प्रबन्ध निदेशक
रा.रा.प.प.नि., जयपुर

Scanned with CamScanner

14. शंकाओ / विवाद का निस्तारण :–

a. इस योजना के क्रियान्वयन एवं निर्वचन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शंका / सन्देह / विवाद / अपील का निपटारा नोडल अधिकारी के माध्यम से निगम के कार्यकारी निदेशक (यातायात) द्वारा किया जावेगा। जिसका निर्णय अतिम एवं दोनो पक्षों को मान्य होगा। कोई भी पक्ष अपना विवाद कार्यकारी निदेशक (यातायात) के समक्ष प्रस्तुत किये बिना न्यायालय से उपचार प्राप्त नही कर सकेगा।

b. बस सारथी के रूप में अनुबन्ध करने वाले व्यक्ति को निगम में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी जावेगी।

c. बस सारथी निगम में नियुक्ति हेतु किसी भी न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

d. बस सारथी योजना 2023 के नोडल अधिकारी उप महा प्रबन्धक (सांख्यिकी) होंगें।

e. बस सारथी योजना 2021 को समाप्त करने के उपरान्त कार्यरत बस सारथियों को बस सारथी योजना 2023 के अन्तर्गत नया अनुबन्ध करना होगा ।

उपरोक्त व्यवस्था आगार में लागू करने के साथ बस सारथी की सूची मय मार्ग नोडल अधिकारी के माध्यम से कार्यकारी निदेशक (यातायात) को भेजी जावेगी। बस सारथी को दिये राजस्व लक्ष्य, बस सारथी द्वारा जमा करायी गयी राशि एवं प्रतिफल राशि का मासिक विवरण सांख्यिकी शाखा, मुख्यालय को प्रेषित किया जावेगा।

संलग्नः—1. आवेदन प्रपत्र
2. अण्डरटेकिंग प्रपत्र

(नथमल डिडेल)
प्रबन्ध निदेशक
दिनांकः 12/04/2023

क्रमांकः एफ4 / मु. / याता. / लेखा. / 2023 / 2248

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः–

1. निजी सचिव, श्रीमान अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष .... राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर।
3. महा प्रबन्धक (लेखा / यातायात), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर।
4. उप महा प्रबन्धक ....राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर।
5. जोनल मैनेजर राजस्थान परिवहन निगम,.. जोन।
6. कार्यकारी प्रबन्धक (निरीक्षण–याता. / संस्थापन–याता. / संचालन–याता. / जनसम्पर्क), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर।
7. मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान परिवहन निगम .... आगार।
8. आदेश / रक्षित पत्रावली।

(संजीव कुमार पाण्डेय)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

Scanned with CamScanner

500/– रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर लिपिबद्व किया जायेगा अण्डरटेकिंग

मुख्य प्रबन्धक
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,
....

मैं, ...पुत्र श्री ....निवासी...शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरा प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर मुझे निगम में बस सारथी के रूप में समय–समय पर दिये जाने वाले मार्ग का शिड्यूल का आवन्टन किया गया है।जिसके लिए मैं, निम्न शर्तो की पालना करूगाः–

1. अधिकृत बस सेवा/शिड्यूल में बस सारथी के रूप में कार्य के दौरान मैं स्वंय के खर्चे पर निर्धारित वर्दी में रहते हुये निगम द्वारा प्रदत्त आवश्यक फर्स्ट एड बॉक्स तथा शिकायत पुस्तिका बस सेवा में साथ रखूँगा ।
2. मैं, निगम द्वारा निर्धारित धरोहर राशि 15,000/–अथवा निर्धारित दैनिक लक्ष्य जो भी अधिक हो धरोहर राशि एवं 20,000/– रूपयें ई.टी.आई.एम की धरोहर राशि के रूप में निगम कोष में जमा कराने को तैयार हूँ एवं अगर दैनिक औसत आय अधिक होने पर अधिक धरोहर राशि मुख्य प्रबन्धक ,राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,................................आगार में निगम कोष में जमा करवाने को तैयार हूँ ।
3. मेरे विरूद्ध पुलिस अथवा किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण लम्बित नही है। जिसका पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र एवं दो राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न है।
4. मै, दसवीं कक्षा उत्तीर्ण हूँ जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है ।
5. मैं, आगार के मार्ग/शिड्यूल संख्या .... पर बस सारथी के रूप में कार्य करने के लिये तैयार हूँ।
6. मैं अनुबंध में दिये गये शिड्यूल की वाहन में मासिक व पुलिस पासधारी, निशुल्क व रियायत श्रेणी के यात्रियों को यात्रा सुविधा उपलब्ध कराऊंगा ।
7. मुख्य प्रबन्धक द्वारा निर्धारित साप्ताहिक विश्राम के अतिरिक्त अनुपस्थित होने पर, 500/–रूपये (जी.एस.टी. अतिरिक्त) प्रत्येक अनुपस्थित दिवस के लिये शास्ती जमा करवाने को तैयार हूँ । इस राशि को जमा नहीं करवाने पर यह राशि मेरी जमा धरोहर राशि से वसूल कर ली जावें।
8. कार्य में लापरवाही या दुराचरण किया जाता है तो निगम द्वारा मुझे बस सारथी के अनुबन्ध से बिना कोई नोटिस दिये हटाया जा सकता है एवं मेरी धरोहर राशि जब्त की जा सकती है ।
9. मैं, अनुबन्ध के दौरान बस मे यात्रा करने वाले समस्त यात्रियों को सदैव, समय समय पर निगम के निर्देशानुसार एवं नियमानुसार टिकिट काटकर चलूंगा। यदि किसी निरीक्षण दल द्वारा मेरी वाहन की चैकिंग की जाती है तथा उनमें कोई बिना टिकिट यात्री पाये जाने पर मेरा अनुबन्ध बिना कारण बताए दुराचरण/अनुबन्ध की अवहेलना मानी जा कर समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी एवं जमा प्रतिभू राशि जब्त कर ब्लेकलिस्टेड किया जा सकूंगा एवं मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कार्यवाही के लिये सहमत हूँ।
10. मैं, बस सारथी के रुप में स्वयं अपना कार्य सम्पन्न करुंगा। यदि मेरे स्थान पर अन्य अनाधिकृत व्यक्ति बस सारथी के रुप में कार्य करता हुआ पाया जावे तो निगम को पुलिस कार्यवाही के साथ–साथ मेरा अनुबन्ध समाप्त कर धरोहर राशि जब्त करने का अधिकार होगा।
11. आवेदन में किसी प्रकार की गलत सूचना एवं दस्तावेज पाये जाने पर अनुबन्ध तुरन्त समाप्त कर प्रतिभू राशि जब्त की जा सकेगी।

(नथमल डिडेल)
प्रबन्ध निदेशक
रा.रा.प.नि., जयपुर

Scanned with CamScanner

12. मैं, निगम द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी मॉडल की बस में कार्य करने के लिए तैयार हूँ।
13. मार्ग पर वाहन ब्रेक डाउन होने पर प्रस्थान स्थल से ब्रेक डाउन स्थल तक के यात्री किराये से प्राप्त राजस्व को ही अर्जित आय माना जायेगा तथा ब्रेक डाउन स्थल से आगे के यात्री किराये की राशि मासिक प्रतिफल निर्धारण हेतु लक्ष्य एवं अर्जित आय में शामिल नहीं होगी।
14. मैं, बस सेवा से वापस आने पर, उस बस सेवा से प्राप्त आय एवं E.T.I.M.मशीन टिकिट बैग आदि तुरन्त आगार के निगम कोष में जमा करा दूंगा। ऐसा न करने की स्थिति में निगम मेरे विरूद्व आवश्यक कार्यवाही हेतु, पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु स्वतंत्र है।
15. मैं, नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती कराने एवं अन्य प्रभावी कर देयता का दायित्व वहन करने के लिए तैयार हूँ।
16. मैं, पूरी मेहनत, लगन, ईमानदारी व निष्ठा से बस सारथी का अनुबन्ध सम्पन्न करूंगा। किसी प्रकार की कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा ।
17. निगम द्वारा मुझे मेरी प्रार्थना पर बस सारथी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हैं।
18. मैं, निगम में किसी प्रकार की नियमित नियुक्ति का हकदार नहीं होऊंगा और मैं इस सम्बन्ध में कोई क्लेम प्रस्तुत नहीं करूंगा और न ही किसी न्यायालय में इस हेतु किसी प्रकार का वाद दायर करुंगा।मेरी सेवा अधिकतम 2 वर्ष के लिये ही मान्य होगी।
19. निगम के साथ किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कार्यकारी निदेशक (यातायात) का निर्णय मुझे स्वीकार/मान्य होगा।,
20. मैं अथवा मेरे परिवार का सदस्य निगम की वाहनों में बिना टिकिट यात्रा नही करुंगा/करेंगें। यदि मैं अथवा मेरे परिवार के सदस्य बिना टिकिट यात्रा करते पाये जाने पर निगम मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकेगा।
21. मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मुझे निगम से किसी भ्रष्टाचार अथवा दुराचरण के आरोप में सेवापृथक नही किया गया है।

मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..उपरोक्त अण्डरटेंकिंग पूर्ण होश हवास एवं बिना किसी दबाव के तथा पूर्ण जानकारी के साथ दे रहा/रही हूँ। इसमें अंकित सूचना असत्य पाये जाने पर निगम को मेरा अनुबन्ध समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। ईश्वर मेरी मदद करे ।

नाम एवं हस्ताक्षर
पिता/पति का नाम
पूर्ण पता

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर :
गवाहका नाम :
पूर्ण पता :

(नथमल डिडेल)
प्रबन्ध निदेशक
रा.रा.प.प.नि., जयपुर

Scanned with CamScanner

सेवामें,

श्रीमान मुख्य प्रबन्धक
राजस्थान परिवहन निगम,
............................आगार

विषय : "बस सारथी" योजना 2023 हेतु आवेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं निम्न शिड्यूल हेतु "बस सारथी" योजना 2023 के अन्तर्गत मार्ग/शिडयुल आवंटित करने हेतु स्वेच्छा से आवेदन करता हूं:–

1. माह ....
2. शिड्यूल संख्या ....
3. शिड्यूल का विवरण ....
4. कहां से कहां तक ....
5. समय ....
6. कि0मी0 ....
7. निर्धारित लक्ष्य – आय प्रति कि.मी. – दैनिक राजस्व – यात्रीभार–

a. मैं, निगम द्वारा संचालित "बस सारथी" योजना 2022 के अन्तर्गत उक्त वर्णित शिड्यूल हेतु आवंटित लक्ष्य की आय लाने की स्वेच्छा से सहमति देता हूं।

b. मुझे निगम के किसी भी आगार द्वारा ब्लेक लिस्ट घोषित नहीं किया हुआ है।

अथवा

मैं ....आगार में बस सारथी के रूप में कार्यरत था, मुझे मुख्य प्रबन्धक .... आगार द्वारा ब्लेक लिस्ट घोषित किये जाने के उपरान्त श्रीमान कार्यकारी निदेशक (यातायात) के कार्यालय आदेश क्रमांक ....दिनांक ....द्वारा पुनः बस सारथी के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है ।

कृपया मेरा आवेदन स्वीकार कर अनुग्रहित करने का श्रम करें ।

भवदीय

(..)
नाम बस सारथी मय पिता/पति का नाम व हस्ताक्षर
पताः– ....
....
....
मोबाइल नं0 ....
आधार कार्ड न...
पैन कार्ड न0..
परिचालक लाईसेंस नं.–.....................................

(नथमल डिडेल)
प्रबन्ध निदेशक
रा.रा.प.प.नि., जयपुर

Scanned with CamScanner